

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

No. 313]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2016

मि.सं. 12-11/2010के.हो.परि.भाग).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के खण्ड (झ), (ज) और (ट) व धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम.) संशोधन विनियम, 2015 में शुद्धि-पत्र निर्गत करती है, अर्थात्:—

“विनियम 7 में, तालिका में जहाँ-जहाँ भी शब्दों “अनुसंधान प्रविधि तथा जैव सांख्यिकी” के पश्चात् आने वाले शब्द अर्थात् “तथा औषध का इतिहास” का लोप किया जाता है।”

डॉ. ललित वर्मा, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./196(147)]

नोट: मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग-III खण्ड-4 में संख्या 12-18/89-के.हो.प. के द्वारा दिनांक 16.11.1989 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात् संशोधन किए गए:—

1. 12-3/91-के.हो.परि. दिनांक 22 फरवरी 1993
2. 12-3/91-के.हो.परि. दिनांक 31 अक्टूबर 2001
3. 12-2/2006-के.हो.परि.(पार्ट) दिनांक 2 मार्च 2012 तथा
4. 12-11/2010-के.हो.परि (पार्ट) दिनांक 29 जनवरी 2016

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 2nd August, 2016

F. No. 12-11/2010 –CCH(Pt.).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section 20 of Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Government, hereby makes the following corrections in Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) Amendment Regulations, 2015, are made by publishing a corrigendum, namely ;—

“The words “and History of Medicine” wherever appearing in the Tables in the regulation 7 after the words “Research Methodology & Bio-statistics” are omitted.”

Dr. LALIT VERMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./196 (147)]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide number 12-18/89-CCH dated the 16th May, 1989 and subsequently amended vide:—

1. 12-3/91-CCH(Pt.III) dated the 2nd February, 1993;
2. 12-3/91-CCH(Pt.III) dated the 31st October, 2001;
3. 12-2/2006-CCH(Pt.) dated 2nd March, 2012 and
4. 12-11/2010-CCH(Pt.) dated 29th January, 2016.